संख्या–541 / 33–3–2012–100(1) / 2013

प्रेषक,

ताहिर इकबाल
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक:: 22 फरवरी, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत) में प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 05 जनपदों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 187.50 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती विभाग विभाग के शासनादेश संख्या–1295/33–3–201–135/09टीसी, दिनांक 29.04.2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 188.00 लाख (रू0 एक करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) में से रू0 187.50 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रुप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/ दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत) लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण (के075/रा025–रा0) 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यर्य में मितब्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितब्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी

शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत् व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–2–200/दस–13 दिनांक 22 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :–यथोक्त

भवदीय,

(ताहिर इकबाल)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4– मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
5– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
6– जिलाधिकारी, बागपत,गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
7– जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत,गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर
8– कोषाधिकारी, बागपत,गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
10– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या – 441/33-3-2013-100(01)/2013 दिनांक 23 फरवरी, 2013 का संलग्नक।

वर्ष 2012–13 में प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 05 जनपदों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाना–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	जनपद	पंचायत भवन विहीन कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2012–13 में राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों / पंचायत भवन का लक्ष्य	भारत सरकार द्वारा निर्गत धनराशि (प्रथम किश्त) के क्रम में निर्धारित अनुदान संख्यावार लक्ष्य			भारत सरकार का 75% अंश रू. 7.50 लाख प्रति इकाई लागत			राज्य सरकार का 25% अंश रू. 2.50 लाख प्रति इकाई लागत		
				अनुदान संख्या–14	अनुदान संख्या–83	योग	अनुदान संख्या–14	अनुदान संख्या–83	योग	अनुदान संख्या–14	अनुदान संख्या–83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बागपत	112	23	11	0	11	82.50	0.00	82.50	27.50	0.00	27.50
2	गाजियाबाद	176	28	14	1	15	105.00	7.50	112.50	35.00	2.50	37.50
3	गौतमबुद्धनगर	119	12	5	1	6	37.50	7.50	45.00	12.50	2.50	15.00
4	बुलन्दशहर	438	35	14	2	16	105.00	15.00	120.00	35.00	5.00	40.00
5	मुजफ्फरनगर	64	64	31	1	32	232.50	7.50	240.00	77.50	2.50	80.00
	योग–	**909**	**162**	**75**	**5**	**80**	**562.50**	**37.50**	**600.00**	**187.50**	**12.50**	**200.00**

(आर० एन० सिंह)
अनुसचिव।